**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–266 / 2025

श्री भास्कर पंत ,
पता– तल्ला कलोनी भगोती, भिक्यासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यासैंण, जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विद्युत संयोजन एकाउन्ट सं0 40111544818 के सापेक्ष उनका बिल बहुत अधिक आ रहा है। उन्होने इसको ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1027 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से प्रकरण में आख्या प्राप्त नहीं हुयी। अगली सुनवायी तिथि 26.11.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का मीटर सिस्टम पर अपडेट नहीं हो पाया था जिसे अब अपडेट कर दिया गया है और नेट बिल रू0 4993 बनता है जिसे उपभोक्ता को अवगत करा दिया गया है। उपभोक्ता का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 16.12.2025 नियत की गयी थी जिसे वादी तथा प्रतिवादी के अनुरोध पर दिनांक 17.12.2025 को मेगा कैंप में सुनवायी के लिए रखा गया।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संजय कुमार भाकुनी, कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है जो रू0 4993 क्रेडिट में बनता है। उन्होने बताया कि संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करा दिया गया है, और वादी इससे संतुष्ट है।

## आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के बिल को संशोधित कर दिया गया है और वादी का नेट बिल रू0 4993 क्रेडिट में बनता है। विभाग द्वारा बताया गया कि संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करा दिया गया है, और वादी इससे संतुष्ट है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 17.12.2025**

| | | |
|---|---|---|
| बी0 एस0 बिष्ट<br>उपभोक्ता सदस्य | ओ0पी0 दीक्षित<br>तकनीकी सदस्य | कु0 निर्मला तिवारी<br>न्यायिक सदस्य |

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–269 / 2025

श्री मोहन सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह,
पता– निराई, गॉरमेंट प्राइमरी स्कूल, ओलियागांव,
सोमेश्वर, जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी भूमि के बीच में एक बिजली का खंभा लगा हुआ है जो कि भवन निर्माण करने के लिए खतरनाक है। उन्होने इस पोल को अन्य स्थान पर शिफटिंग कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1050 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि क्षेत्रीय अवर अभियंता के स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण में पोल शिफटिंग के लिए वादी द्वारा स्पष्ट आर.ओ.डब्लू प्रदान करने तथा शिफटिंग में आने वाली धनराशि के भुगतान के पश्चात् प्रकरण में कार्यवाही करना संभव हो पाएगा। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 16.12.2025 नियत की गयी थी।

3.मंच की सुनवाई दिनांक 16.12.2025 में वादी से उनकें द्वारा दिये गये फोन नं0 9654181039 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सदस्य द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि पोल शिफटिंग के लिए इस प्रकरण में दों नग एल टी लाईनों की दिशा बदलने के लिए दूसरे भूमि स्वामी के खेतों के ऊपर से गुजरने के कारण उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी।विभाग ने बताया कि विभागीय पॉलिसी के अनुसार पोल/लाईन शिफटिंग के लिए निवेदक को स्पष्ट आर.ओ.डब्लू तथा पोल शिफटिंग में आने वाली कॉस्ट का भुगतान करना पड़ता है।

16/12/25 16/12/25

परिवाद सं0 269/2

वादी ने टेलीफोन सुनवायी में पोल शिफटिंग में आने वाली कॉस्ट देने के लिए मना कर दिया है। विभागीय पॉलिसी को देखते हुए उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

## आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि पोल शिफटिंग के लिए इस प्रकरण में दों नग एल टी लाईनों की दिशा को बदलने के लिए, दूसरे भूमि स्वामी के खेतों के ऊपर से गुजरने के कारण उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। विभाग ने बताया कि विभागीय पॉलिसी के अनुसार पोल/लाईन के शिफटिंग लिए, निवेदक को स्पष्ट आर.ओ.डब्लू तथा पोल शिफटिंग में आने वाली कॉस्ट का भुगतान करना पड़ता है। वादी ने टेलीफोनिक सुनवायी में पोल शिफटिंग में आने वाली कॉस्ट देने के लिए मना कर दिया है। विभागीय पॉलिसी को देखते हुए तथा उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 16.12.2025**

16/12/25

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य